

6.3.1

# APPRAISAL SYSTEM



संख्या - 35/ANV/2015-SK/11

राजिका भा.  
प्रचार सचिव  
उत्तराखण्ड शासन;  
सेवा में  
निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय  
इन्डियाना-नैनीताल;  
उच्च शिक्षा अनुभाग-7  
विषय- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों/प्राचार्यों/निदेशालय के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन।  
महोदय

देहरादून : दिनांक 16 मई, 2015

उपरोक्त विषय पर उक्त सरकारी सेवाक के लिए, उसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया गए काम के मूल्यांकन के आधार पर एक चरित्र पंजिका रखे जाने तथा उक्त चरित्र पंजिका में अंकित प्रविष्टियों एक बैरोमीटर के रूप में उस अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा, कार्यकुशलता आदि को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 790/कार्मिक-2/2002 दिनांक 25 जुलाई 2002 में व्यवस्था की गई है। चरित्र पंजिका की प्रविष्टि उसकी संज्ञा संस्कृती मानकों के समुचित निर्णय लिये जाने हेतु एक माध्यम का कार्य करती है।

2- उक्त काम में सम्यक विचारोपरान्त शरान द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों/प्राचार्यों/निदेशालय के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सम्यक से अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था/समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

- (1) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के मूल्यांकन हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर प्रविष्टि अंकित की जाय।
- (2) चरित्र पंजिका प्रविष्टि करने हेतु निम्नलिखित तीन स्तर तथा समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	अधिकारी/प्रविष्टि	निर्धारित तिथि
1	प्रतिवेदक अधिकारी	31 जुलाई
2	समीक्षक अधिकारी	31 अगस्त
3	स्वीकृता अधिकारी	30 दिसम्बर

- (3) उच्च शिक्षा सन्तुह के शिक्षक संवर्ग की वार्षिक चरित्र पंजिका प्रविष्टि अंकन हेतु तीन स्तर निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं :-

- क- शिक्षक की प्रविष्टि का अंकन हेतु
  - प्रतिवेदक स्तर - प्राचार्य
  - समीक्षक स्तर - निदेशक, उच्च शिक्षा
  - स्वीकृता स्तर - विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव
- ख- प्राचार्य/निदेशालय के अधिकारियों (सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक) की प्रविष्टि का अंकन हेतु
  - प्रतिवेदक स्तर - निदेशक, उच्च शिक्षा
  - समीक्षक स्तर - उप सचिव उच्च शिक्षा
  - स्वीकृता स्तर - विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव

*Nandini*  
Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

*Gurpreet*  
प्राचार्य  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



ग- निदेशक, उच्च शिक्षा की प्रविष्टि का अंयन हेतु  
 प्रतिवेदक स्तर - अपर स्तरीय उच्च शिक्षा  
 समीक्षक स्तर - विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव  
 स्वीकृता स्तर - 110 दिनांकिक नदी

- (4) निदेशालय/महाविद्यालय जिस स्तर पर प्रविष्टि का रक रखे किया जाता है उस स्तर पर स्वमूल्यांकन आख्या एवं वार्षिक मन्तव्य प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण करने के लिए एक अधिकारी को पदनाम से नामित करवा हुए नोडल अधिकारी बनाया जायेगा।
- (5) प्रत्येक अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या विन्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे।
- (6) प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वमूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक अधिकारी को उपलब्ध कराने के स्थान पर प्रस्तर-1 में नामित अधिकारी को उपलब्ध करावेंगे।
- (7) नामित अधिकारी ऐसी सभी स्वमूल्यांकन आख्याओं को क्रमशः प्रतिवेदक, समीक्षक स्वीकृत अधिकारी को भेजकर प्रविष्टि पूर्ण करावेंगे। कोई भी अधिकारी अपने मन्तव्य प्रविष्टि अंकित करने के लिए आगे स्तर के अधिकारी को नहीं भेजेंगे अर्थात् प्रतिवेदक अधिकारी अपना मन्तव्य समीक्षक अधिकारी को और समीक्षक अधिकारी अपना मन्तव्य स्वीकृत अधिकारी को सीधे नहीं भेजेंगे। प्रत्येक स्तर पर मन्तव्य नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) नोडल अधिकारी उपरोक्त के अनुसार चरित्र प्रविष्टियों को पूर्ण कराकर सम्बन्धी अधिकारियों की चरित्र पंजीकाओं में यथास्थान व्यवस्थित करावेंगे।

3- उक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू नानी जावेगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।  
 संलग्न-यथापरि।

निदेशिका,  
 (राजकीय शा.)  
 प्रमुख सचिव।

पृष्ठांक संख्या- (1) / XXIV(7) / 2015-58(4) 13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उच्च निदेशक, उच्च शिक्षा, शिबिर कार्यालय, देहरादून।
- 2- समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 3- समस्त प्रवक्ता द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुलतमान सिंह)  
 प्रमुख सचिव।

*Admeshan*  
 Coordinator  
 IQAC/NAAC  
 R.D.K.G.D. College  
 Dallawala, Khanpur (Haridwar)

*Admeshan*  
 प्राचार्य  
 राजी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
 दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



ACR Status Report

Note: The take-back option is only available for batch IDs at the Reporting, Reviewing, and Accepting Officer level.  
If used, the batch will be returned to the Batch Creation. To access this option, click 'View ACR,' and the Return option will be available at the end below.

Year: 2021-21

Sl.No.	Emp. Code	Emp. Name	ACR ID	From Date	To Date	Status	Select
1	45660313M00655	Mr Ashwani Kumar	ACR:6502:4577:2023:00002	01-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Accepting	View ACR
2	45660313M00730	Mr. GAUTAM PURAN CHAND	ACR:6502:4577:2023:00003	13-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Accepting	View ACR
3	45660113M00431	Dr Santosh Kumar Singh	ACR:6502:4577:2023:00005	01-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Reporting	View ACR
4	45660113M00591	Dr Dhananjay Sharma	ACR:6502:4577:2023:00006	01-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Reporting	View ACR
5	45020313F08757	Mrs Nitu Baluni	ACR:6502:4577:2023:00007	01-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Reporting	View ACR
6	4000138216	Dr Nibedita Priyadarshani	ACR:6502:4577:2023:00004	01-APR-2022	31-MAR-2023	Batch Approved by Reporting	View ACR
7	5600124	Dr Kuldeep Singh Negi	ACR:6502:4577:2023:00001	01-APR-2022	31-MAR-2023	Declaration Submitted by Emp.	View ACR

*Nashon*  
Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

*Gurukul*  
प्राचार्य  
रानी धर्म कुंवर राजकाय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



Name of the officer reported upon : Dr Nibedita Priyadarshani  
Period (Year 2022-2023 From Date - 01-APR-2022 To Date - 31-MAR-2023)

Signature Not Verified

Digitally signed by: Dr Nibedita Priyadarshani  
Reason : DDO E-Approval  
Location: Laksar Treasury  
Date and Time: 24-07-2023 16:18:21

**Section II : Self Appraisal**

भाग II : स्व-मूल्यांकन

Period (Year 2022-2023 From Date - 01-APR-2022 To Date - 31-MAR-2023)  
अवधि (वर्ष 2022-2023 दिनांक - 01-APR-2022 से दिनांक - 31-MAR-2023)

**1- The summary of responsibilities allotted in the period under review should be mentioned:**

आलोच्य अवधि में आवंटित उत्तरदायित्वों का सार बंकित किया जाये

Sr. क्र.	Period समयावधि	Allotted Responsibility आवंटित उत्तरदायित्व
1	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of Women cell
2	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of Anti ragging
3	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	.Coordinator of Proctorial Board
4	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of Grievance cell
5	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of selection Committee
6	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of Small Scale Constriction
7	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	. NAAC Coordinator
8	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	MEMBER OF EXAMINATION COMMITTEE
9	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	RTI Coordinator
10	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	RUSHA & AISHE Coordinator
11	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Member of Student Union Election
12	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Affiliation committee Coordinator
13	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Coordinator of Purchasing committee
14	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	College Website committee Member
15	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Connectivity /EDVSAT Networking committee member
16	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Income Tax committee coordinator
17	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Digital Learning coordinator
18	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	E.anklan Coordinator
19	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Building construction inspection Coordinator
20	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Rovers Ranger Committee Member
21	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Tablet Distribution committee
22	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Skill Development cell Coordinator
23	01-APR-2022 To 31-MAR-2023	Research and Development cell Coordinator

**2- Annual Work Plan and Achievement :**




वार्षिक कार्य योजना और उपलब्धि

Sr. क्र.	Tasks to be performed किये जाने वाले कार्य	Targets/ Deliverables (Unit) लक्ष्य/परिदेय (इकाई)	Actual Achievement वास्तविक उपलब्धि
1	Teaching in BA 1ST YR	syllabus Completed	100% result achieved
2	Teaching in BA 2ND YR	syllabus Completed	100% result achieved
3	Teaching in BA 3RD YR	syllabus Completed	100% result achieved

*Nandha's*  
**Coordinator**  
IQAC/NAAC  
R.D K.G.D. College  
Dallawaia, Khanpur (Hardwar)

*Prakash*  
**प्राचार्य**  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)





*Mandhan*  
Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

*[Signature]*  
प्राचार्य  
राजी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



**CAREER  
ADVANCEMENT  
SCHEME**



प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी, (नैनीताल)।
2. कुलपति,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),  
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार संशोधन अधिनियम को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना संख्या-271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हत तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 जारी/निर्गत किया गया है।

2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोक्त (परिशिष्ट-‘क’)।

आनन्द बर्द्धन,  
(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव

संख्या-1424 (1)/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिणियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त (परिशिष्ट-‘क’)

आज्ञा से,

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)  
उप सचिव

*Manojan*  
Coordinator

IGAC/NAAC

R.D K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

*Shiv Swarup Tripathi*

प्राचार्य


रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



नियम	यू.जी.सी. अधिनियम, 2018	संशोधित नियम/विनियम
नियम-1.0	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण (व्याप्ति)	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-2	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु	उप-नियम-2.0 व 2.2 को यथावत् अंगीकृत किया जाता है। पुनर्नियुक्ति संबंधी उप-नियम-2.1 राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जाता है।
नियम-3	नियुक्ति एवं अर्हतायें उप-नियम-3.1 से 3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के उप-नियम-3.1 से 3.10 तथा 3.12 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। उप-नियम-3.11 में अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।
नियम-4	सीधी भर्ती/अर्हतायें उप-नियम-4.1	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य/आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड) एवं उप प्राचार्य की अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.2	संगीत, पर फार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परम्परागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी है जिनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.3	नाट्य विद्या में सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.4	योग विद्या सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.5	पेशे से जुड़े रोजगारोपरक के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य) के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को

  
प्राचार्य


श्री धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



  
Coordinator  
IQAC/NAAC



नियम-4	उप-नियम-4.6	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, संकायाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.7	विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष व महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-4	उप-नियम-4.8	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अर्हता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुभाग-4.8 के I/II/III & IV को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-5	उप-नियम-5.1। से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1-कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2-कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3-वि०वि० की विद्या परिषद/कार्यपरिषद द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4-संकाय का संकायाध्यक्ष, 5-सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष 6-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।



प्राचार्य

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

Scanned by CamScanner

  
Coordinator

IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

CS:BSH\F\Documents\35 Rawar 23X Rawar Letter\...



नियम-5	<p>उप-नियम 5.1 V,VI, VII,</p> <p>निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor) सह आचार्य (Associate Professor) आचार्य (Professor) के चयन संबंधी प्रक्रिया।</p>	<p>उत्तराखण्ड राज्य में निम्न चार प्रकार की शैक्षिक संस्थाएँ संचालित हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजकीय विश्वविद्यालय।</li> <li>2. राजकीय महाविद्यालय।</li> <li>3. निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय।</li> <li>4. निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय।</li> </ol> <p>उक्त हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं:-</p> <p>1-कैम्पस महाविद्यालयों में इन पदों पर चयन प्रक्रिया उप-नियम-5-1। से 5.1 IV के अनुसार किया जाता है।</p> <p>2-राजकीय महाविद्यालय में चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु यूजीसी विनियम 2018 की तालिका-3 (ख) के अनुसार Academic Performance Indicators (APIs) लागू किए जाएंगे। वह इस हेतु वह शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी सेवा नियमावली को भी अंगीकृत करेंगे।</p> <p>3-नियम-5 के 1 के V:-निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में गठित बोर्ड ऑफ गर्वनेंस/कार्य परिषद/प्रबन्ध समिति को सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य के चयन हेतु Academic Performance Indicators (APIs) तालिका-2, 3 (ख) को लागू करना होगा तथा चयन समिति का गठन यूजीसी विनियम 2018 की उपधारा 5.1-V के अनुसार किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा नामित एक सदस्य भी होगा।</p> <p>4-निजी विश्वविद्यालय के लिए Academic Performance Indicators(APIs) सरकारी विश्वविद्यालय के अनुसार होगी (तालिका-3 'क') तथा विषय विशेषज्ञ कार्य परिषद के द्वारा नामित किया जायेगा। जिसमें एक सदस्य विजिटर द्वारा भी नामित होगा।</p> <p>5-निजी संस्थान में Academic Performance Indicators (APIs) तालिका-2 एवं 3 'ख' के अनुसार होगी एवं चयन समिति का गठन 5.1 के उप-भाग V, VI VII के अनुसार, जैसा कि लागू होगा, तदनुसार होगी।</p>
नियम-5	<p>उप-नियम 5.1 VIII</p> <p>महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य</p>	<p>निजी महाविद्यालय/गैर सरकारी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में चयन प्रक्रिया सैक्शन 5.1 के VIII के 'क' एवं 'ख' के अनुसार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित और एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के Alumni Association का सदस्य होगा।</p> <p>राजकीय महाविद्यालयों के लिए वर्तमान में राज्य में प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी। वशर्त</p>

Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dalla-wala, Khanpur (Haridwar)

प्राचार्य

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

Scanned by CamScanner



		कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत पदों पर प्राचार्यों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती से नियुक्त कर सकती है। प्राचार्य हेतु पात्रता विनियम 2018 के उप-नियम 4.1 V के अनुसार होंगे।
नियम-5	उप-नियम 5.1 IX शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के चयन हेतु प्रक्रिया	चयन समिति की प्रक्रिया तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-5	उप-नियम 5.1 X शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के सीएसए, प्रोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन	सैक्शन 5.1 X में जो व्यवस्था की गयी है उसमें विश्वविद्यालय के लिए X 'क' की प्रक्रिया होगी। राजकीय महाविद्यालय में सैक्शन 5.1 के X के 'ख' की प्रक्रिया विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार होगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए एक सदस्य कुलपति एवं एक निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित किया जायेगा। निजी महाविद्यालय में 5.1 के X के 'ख' के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाता है। 5.1 के X के यथा प्रस्तावित 'क', 'ग' 'ड' को अंगीकृत किया जाता है। 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' को गैर सरकारी/सरकारी के लिए अंगीकृत किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय के लिए 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के अनुसार अंगीकृत किया जाता है। राजकीय महाविद्यालय को छोड़कर उप नियम 5.2 की प्रक्रिया यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार होगी। राजकीय महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के सैक्शन 5.3 एवं 5.4 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-6	उप-नियम 6.0 चयन प्रक्रिया	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-6	मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि उप-नियम-6.1	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है बशर्त राजकीय महाविद्यालय के प्रकरणों में उच्च शिक्षा निदेशालय/शासन स्तरपर प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के तहत निष्पादित किया जाय।
नियम-6	उप-नियम-6.2-6.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-7	उप-नियम-7.1, 7.2: सम कुलपति (Pro-Vice Chancellor) का चयन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।

*Signature*  
Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dalla-wala, Khanpur (Haridwar)

*Signature*  
प्राचार्य

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



नियम-7	उप-नियम-7.3 कुलपति का चयन	कुलपति के चयन प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाय किन्तु चयन समिति एवं सर्व कमेटी का गठन संबंधित विश्वविद्यालयों के तत्सम्यक प्रचलित एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा।
नियम-8	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ।	सरकारी राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार होगी।
नियम-9	शोध संवर्धन अनुदान	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।
नियम-10	सी.ए.एस.के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-11	परिबीक्षा और स्थायीकरण की अवधि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-12	शिक्षकों के पदों का सृजन और उनको भरा जाना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-13	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियाँ	संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया/मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। गैस्ट फ़ैकल्टी को प्रतिवादन रूपये 500/- या समय-समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
नियम-14	शिक्षण के दिवस	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-14	प्रावकाश उप-नियम-14.2	जैसे कि राज्य सरकार के नियमों में शिक्षकों के लिए समय-समय पर लागू है।
नियम-15	कार्यभार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-15	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपलब्धता उप-नियम-15.1	प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह में 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता होगी।
नियम-16	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-17	पेशेवर/प्रोफेशनल आचार संहिता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-18	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम-18	अनुदान उप-नियम-18.4	इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव-नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कंप्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।
नियम-19	पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन उप-नियम-19.1	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम-19	पदोन्नति	सरकारी विश्वविद्यालयों में संबंधित

Coordinator  
IQAC/MAAC  
R.D.K.G.D. College  
Ballawala, Khanpur (Hardwar)

प्राचार्य  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
खानवाला, खानपुर (हरिद्वार)


Scanned by CamScanner



	उप-नियम-19.2	विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम-19	वेतन और भत्ते उप-नियम-19.3	भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।



  
**Coordinator**  
**IQAC/NAAC**  
**R.D.K.G.D. College**  
**Dallawala, Khanpur (Haridwar)**

  
**प्राचार्य**  
**रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय**  
**दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)**



सेवा में

एसो रागास्नामी,  
अपर मुख्य राक्षि,  
उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक,

उच्च शिक्षा निदेशालय,

एल्हानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

विषय-

गहोदय,


देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2016

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रुतया उक्त विषयक पत्रांक डीपी-सेवा/1673/2016 17 दिनांक 11.5.2016 एवं पत्रांक-डिग्री-सेवा/1986/2016-17 दिनांक 23.5.2016 (संशोधित प्रस्ताव) द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं/असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट वेतनमान संस्तुत किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित स्त्रीनिग चयन समिति की संस्तुतियों के आधार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूजीसी की कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं/असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर को निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रैंड पे ₹ 7000 तथा चयन वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रैंड पे ₹ 8000 एवं एसोसिएट प्रोफेसर को ग्रैंड पे ₹ 9000 स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि निदेशक, उच्च शिक्षा यह सुनिश्चित/परीक्षण कर ले कि सम्बन्धित सेवक द्वारा वांछित वेतनमान हेतु विद्यमान नियमों/शासनादेशों के आलोक में समस्त अर्हताएं धारण कर ली हों-  
(वरिष्ठ वेतनमान हेतु अर्ह प्राध्यापकों की सूची)

क्र. सं.	शिष्टक का नाम	विषय	चयन समिति द्वारा संस्तुत वरिष्ठ वेतनमान की देय तिथि	ग्रैंड पे वेतन ₹ 7000 अनुमन्त्र किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	डा० अजय प्रसाद उनीमाल	गणितीय	19.07.2011	19.07.2011
2.	डा० शुभा पी० काण्डपाल	बी०एड०	21.07.2011	21.07.2011
3.	डा० अमित जायसवाल	बी०एड०	08.06.2010	08.06.2010
4.	डा० स्वाति नेगी	बी०एड०	15.05.2010	15.05.2010
5.	डा० निवेदिता प्रियदर्शिनी	शिक्षाशास्त्र	16.11.2014	16.11.2014
6.	डा० राघवेन्द्र मिश्रा	गणित	23.09.2013	23.09.2013
7.	श्री पीतपाल सिंह	गणित	18.07.2011	18.07.2011
8.	डा० दीपा शर्मा	गणित	08.08.2010	08.08.2010
9.	डा० सविता वर्मा	गणित	21.07.2009	21.07.2009
10.	डा० अमित कुमार	गणित	19.07.2011	19.07.2011
11.	श्री० अब्दुल हलीम अरारी	भौतिक विज्ञान	05.08.2011	05.08.2011
12.	डा० मनीष डगवोल	संगीत	16.09.2013	16.09.2013
13.	डा० महेश चन्द्र पाण्डे	संगीत	01.10.2013	01.10.2013
14.	डा० निर्मला जोशी	संगीत	15.09.2013	15.09.2013
15.	डा० अमागुददीन अहमद	अध्यात्म	27.07.2010	27.07.2010

  
Coordinator  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

  
प्राचार्य  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी, (नेनीताल)।

CAS

27-10-2022

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 25 अक्टूबर, 2022

विषय-राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ /चयन/एसोसिएट/प्रोफेसर वेतनमान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री सेवा/2220/2022-23, दिनांक 07.07.2022 एवं पत्रांक-डिग्री सेवा/कैस/3433/2022-23, दिनांक 29.08.2022 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट/प्रोफेसर वेतनमान संस्तुत किए जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग/चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXXVII(7)30(14)/2017, दिनांक 17.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को संलग्न तालिकाओं में उल्लिखित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रू0 68900-205500 लेवल-11; चयन वेतनमान रू0 79800-211500 लेवल-12; एसोसिएट वेतनमान रू0 रू0 131400-217100 लेवल-13A तथा प्रोफेसर वेतनमान रू0 144200-218200 लेवल-14 स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


- ऐसे प्राध्यापक जिन्हें चयन समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त तालिकानुसार वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट/प्रोफेसर वेतनमान अनुमन्य किया गया है, परन्तु वे आतिथि तक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी उक्तवत् वित्तीय लाभ देय होंगे।
- उक्त वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट/प्रोफेसर वेतनमान में अनुमन्य वेतन नितान्त वैयक्तिक होगा और इसका कार्यभार अथवा ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बन्धित सेवक प्रशासनिक अथवा अन्य लाभ का दावेदार नहीं होगा।
- निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः यह सुनिश्चित/परीक्षण कर लें कि सम्बन्धित सेवक द्वारा वांछित वेतनमान हेतु विद्यमान नियमों/शासनादेशों के आलोक में समस्त अर्हताएं पूर्ण कर ली गई हों। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/विसंगति पाये जाने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा।
- वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट/प्रोफेसर वेतनमान सेवा अवधि में एक से अधिक बार देय नहीं होगा।



6. उक्त स्वीकृत वेतनमान के फलस्वरूप जो अवशेष धनराशि सम्बन्धित सेवक को देय होगा उसमें से माह सितम्बर, 2022 तक का अवशेष भुगतान उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा जो सेवक नवीन पेंशन स्कीम एन0पी0एस0 से आच्छादित होते हैं, उनका अवशेष भुगतान एन0पी0एस0 खाते में नियमानुसार किया जायेगा तथा माह अक्टूबर, 2022 का वेतन जो माह नवम्बर, 2022 में देय होगा, से नकद भुगतान किया जायेगा। सामान्य भविष्य निधि खाता अथवा एन0पी0एस0 खाता न होने पर पूर्णांकित धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय कर सम्बन्धित को प्रदान किया जायेगा तथा शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उसी मद/लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा, जिसमें से सम्बन्धित सेवक वेतन प्राप्त करता है।  
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

  
(एम0एम0 सेमवाल)


अपर सचिव।

संख्या— (1)/XXIV-C-4/2022-01(11)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा—निदेशक, उच्च शिक्षा।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा—निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. सम्बन्धित सेवक द्वारा—निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


  
(ब्योमकेश दूबे)  
उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पू0सं0: डिग्री सेवा/कैस/5003-04/2022-23 दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा प्राचार्य।

  
(डॉ० संदीप कुमार शर्मा)

निदेशक उच्च शिक्षा  
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

C.S.BISHI TWD:ARinky Dev-SOURinky De...  
Coordinator

Coordinator  
IQAC/NAAC

R.D.K.G.D. College  
Dallawaia, Khanpur (Haridwar)

  
प्राचार्य

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)



79	डा0 जयश्री भण्डारी	हिन्दी	01.09.2020	01.09.2020
80	डा0 पुष्पा देवी	हिन्दी	03.01.2021	03.01.2021
81	डा0 रुमा साह	हिन्दी	31.08.2020	31.08.2020
82	डा0 जगत सिंह कठायत	हिन्दी	14.11.2020	14.11.2020
83	श्रीमती पार्वती	हिन्दी	17.09.2020	17.09.2020
84	डा0 आशुतोष मिश्र	हिन्दी	31.08.2020	31.08.2020
85	डा0 विवेकानन्द पाठक	हिन्दी	16.09.2020	16.09.2020
86	डा0 नीलाक्षी जोशी	हिन्दी	23.07.2020	23.07.2020
87	डा0 नीमा राणा	हिन्दी	09.09.2020	09.09.2020
88	डा0 शैला जोशी	हिन्दी	29.09.2020	29.09.2020
89	डा0 दीपा पन्त	हिन्दी	11.08.2020	11.08.2020
90	डा0 मीरा कुमारी	हिन्दी	23.07.2020	23.07.2020
91	डा0 नन्द किशोर चमोला	हिन्दी	02.09.2020	02.09.2020
92	डा0 सुमिता गडकोटी	हिन्दी	19.09.2020	19.09.2020
93	डा0 हेम चन्द्र दूबे	हिन्दी	31.12.2020	31.12.2020
94	डा0 राधा रावत	हिन्दी	02.09.2020	02.09.2020
95	डा0 वसुन्धरा उपाध्याय	हिन्दी	31.08.2020	31.08.2020
96	डा0 संजय कुमार	राजनीति विज्ञान	27.12.2020	27.12.2020
97	डा0 विनोद कुमार	राजनीति विज्ञान	27.01.2021	27.01.2021
98	डा0 विनीता कोहली	राजनीति विज्ञान	29.08.2020	29.08.2020
99	डा0 महेश मेवाफरोश	राजनीति विज्ञान	10.10.2020	10.10.2020
100	डा0 मंजू चन्द्रा	राजनीति विज्ञान	31.08.2020	31.08.2020
101	डा0 कुलदीप चौधरी	राजनीति विज्ञान	23.07.2020	23.07.2020
102	डा0 सुल्तान सिंह यादव	राजनीति विज्ञान	31.08.2020	31.08.2020
103	डा0 मुनेश कुमार पाठक	राजनीति विज्ञान	10.10.2020	10.10.2020
104	डा0 संजीव कुमार	राजनीति विज्ञान	13.10.2020	13.10.2020
105	डा0 संतोष कुमार सिंह	राजनीति विज्ञान	26.03.2021	26.03.2021
106	डा0 धीरज कुमार चंदोला	राजनीति विज्ञान	31.12.2020	31.12.2020
107	डा0 नेहा सिंह	राजनीति विज्ञान	27.01.2021	27.01.2021
108	डा0 शैलेन्द्र कुमार	राजनीति विज्ञान	01.09.2020	01.09.2020
109	डा0 जगमोहन सिंह	राजनीति विज्ञान	23.07.2020	23.07.2020
110	डा0 ब्रजेश कुमार जोशी	राजनीति विज्ञान	11.08.2020	11.08.2020
111	डा0 गिरिराज सिंह	राजनीति विज्ञान	23.07.2020	23.07.2020
112	डा0 प्रकाश लखेडा	राजनीति विज्ञान	31.08.2020	31.08.2020
113	डा0 सरिता तिवारी	राजनीति विज्ञान	24.07.2020	24.07.2020
114	श्री दिनेश कुमार	राजनीति विज्ञान	02.09.2020	02.09.2020
115	डा0 संजय कुमार	राजनीति विज्ञान	27.01.2021	27.01.2021
116	डा0 अनिल कुमार सैनी	राजनीति विज्ञान	11.10.2021	11.10.2021
117	डा0 कैलाश चन्द्र	राजनीति विज्ञान	03.07.2003 (तिथि संशोधन)	03.07.2003 (तिथि संशोधन)
118	डा0 उषा रानी नेगी	समाजशास्त्र	27.01.2021	27.01.2021
119	डा0 अरविन्द वर्मा	समाजशास्त्र	23.07.2020	23.07.2020
120	डा0 राम सिंह सामन्त	समाजशास्त्र	26.05.2021	26.05.2021
121	डा0 स्नेहलता	समाजशास्त्र	31.12.2020	31.12.2020
122	डा0 अभिमन्यु कुमार	समाजशास्त्र	23.07.2020	23.07.2020

C.S.BISHWAD:Winky Dev-SO:Rinky Dev-SO-Establishment:Wilder/Cas Letter

**Coordinator**  
IQAC/NAAC  
R.D.K.G.D. College  
Dallawala, Khanpur (Haridwar)

**प्राचार्य**

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

P.70-